

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	<p>हुकम: प्रेमचंद और पद्मवती का विवाह वैध है।</p> <p>अतः पत्नी का पति के साथ रहना और उसे पालन पोषण करना पड़ेगा। पति को पत्नी के अर्थोपार्जन के लिए उचित व्यवस्था करना होगा। पत्नी को पति के साथ रहने से इनकार करने पर उसे पति के साथ रहने के लिए दंडित किया जाएगा।</p> <p>हुकम: प्रेमचंद और पद्मवती का विवाह वैध है। अतः पत्नी का पति के साथ रहना और उसे पालन पोषण करना पड़ेगा। पति को पत्नी के अर्थोपार्जन के लिए उचित व्यवस्था करना होगा। पत्नी को पति के साथ रहने से इनकार करने पर उसे पति के साथ रहने के लिए दंडित किया जाएगा।</p> <p>पत्नी को पति के साथ रहने से इनकार करने पर उसे पति के साथ रहने के लिए दंडित किया जाएगा।</p> <p>हुकम: प्रेमचंद और पद्मवती का विवाह वैध है। अतः पत्नी का पति के साथ रहना और उसे पालन पोषण करना पड़ेगा। पति को पत्नी के अर्थोपार्जन के लिए उचित व्यवस्था करना होगा। पत्नी को पति के साथ रहने से इनकार करने पर उसे पति के साथ रहने के लिए दंडित किया जाएगा।</p>	